

2

डिक्री बमुकदमें ईबतदाई
अ. आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रियां संहिता
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, टिब्बी
पीठासीन अधिकारी-मीनू वर्मा आर.ए.एस.
प्रकरण सं० 370/2019

घनश्याम पुत्र श्री संजीव कुमार जाति जाट निवासी वार्डनं० 12 पीरकामड़िया
तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
वादी

बनाम्

- | | | |
|---|---|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. कौशल्यादेवी पत्नी स्व० श्री राजाराम 2. संजीव कुमार पुत्र स्व० श्री राजाराम 3. अशोक कुमार पुत्र स्व० श्री राजाराम 4. अनीता पुत्री स्व० राजाराम 5. तहसीलदार राजस्व टिब्बी। | } | जाति जाट निवासी वार्डनं० 12 पीरकामड़िया
तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ। |
|---|---|--|

प्रतिवादीगण

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ मीनू वर्मा आर.ए.एस.के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रोबरू हमारे बहाजरी श्री विकास रिणवां वकील वादी मिन जाकिन मुदई श्री हरविन्द्र सिंह गिल प्रतिवादीगण मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिग्री दी जाती है कि राजाराम के नाम से दर्ज वाके चक नं० 17 एनजीसी के खाता सं० 58/55 के प०न० 195/264 मु० 12 किलानं० 25, प०न० 195/266 मु० 18 किलानं० 21, प०न० 196/264 मु० 13 किलानं० 21 कुल 0.759 है० का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में अंकन चकनं० 17 एनजीसी के खाता सं० 58/55 में से राजाराम पुत्र जगमाल का नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते है। इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में अंकन किया जावे। उक्त आराजी पर बैंक ऋण की स्थिति रहन मुक्त होने के पश्चात् राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

निज.....निल.....मुब्लिक.....निल.....बाबत.....निल.....खर्चा
मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक
.....अदा करें।

बसबत मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 29/11/19 को जारी किया गया।



(मीनू वर्मा)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, टिब्बी